

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]	दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2009/माघ 14, 1930	[ रा.रा.रा.क्षेत्र सं. 312
No. 19]	DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2009/MAGHA 14, 1930	[N.C.T.D.No. 312

भाग—IV  
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि व भवन विभाग  
अधिसूचनाएँ  
दिल्ली, 3 फरवरी, 2009

सं. फा. 7(30)/07/भू. व भ./भू.अ./12214.—भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तर-पश्चिम), दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या फा. 7(30)/07/भू. व भ./भू.अ./16012, दिनांक 13-2-2008 धारा 4 एवं संख्या फा. 7(30)/07/भू. व भ./भू.अ./12213 दिनांक 3-2-2009 धारा 6 में दिया हुआ है।

LAND AND BUILDING DEPARTMENT  
NOTIFICATIONS

Delhi, the 3rd February, 2009

No. F. 7(30)/07/L & B/LA/12214.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 of the Land Acquisition Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (North-West), Delhi to take possession of land the specification of which is given in the notification No. F. 7(30)/07/L & B/LA/16012, dated 13-2-2008 under Section 4 and No. F. 7(30)/07/L & B/LA/12213 dated 3-2-2009 under Section 6 of the said Act on expiry of 15 days from publication of the notice under sub-section (1) of Section 9 of the said Act.

